1. गोकलाराम पुत्र कोजाराम जाट निवासी सोखडो की बेरी तह0 पचपदा जिला बाडमे
2. नारणाराम पुत्र कोजाराम के कायम मुकाम
2/1 ताजाराम पुत्र नाराणाराम
2/2 चैनाराम पुत्र नारणाराम
2/3 मूलीदेवी पत्नि नारणाराम निवासी सोखडी की ढाणी

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1 कोहलाराम पुत्र पुत्र बाकाराम
2 हरीश पुत्र मुकनाराम
3 दुर्गाराम पुत्र केहराराम
4 मगाराम पुत्र केहराराम
5 गोकलराम पुत्र केहराराम
6 रामाराम पुत्र केहराराम
7 मोती पुत्र केहराराम
8 चुन्नाराम पुत्र केहराराम
9 हुकमाराम पुत्र केहराराम
10 वीरमाराम पुत्र बाकाराम
11 जालाराम पुत्र बाकाराम
12 गंगाराम पुत्र बांकाराम
13 धीमाराम पुत्र करनाराम
14 भैराराम पुत्र करनाराम
15 टीपूराम पुत्र खेराजराम
16 पुरखाराम पुत्र खेराजराम
17 राणाराम पुत्र करनाराम
18 खरताराम पुत्र मुकनाराम
19 आईदानराम पुत्र मुकनाराम
20 हुकमाराम पुत्र मुकनाराम
21 ताजाराम पुत्र मुकनाराम
22 पेमाराम पुत्र मुकनाराम
23 गंगाराम पुत्र केहराराम
24 मागाराम पुत्र केहराराम
25 खेताराम पुत्र केहराराम
26 गुलाराम पुत्र केहराराम
27 मुकनाराम पुत्र केहराराम
28 रामाराम पुत्र चुतराराम सभी जाति जाट
29 राणसिंह पुत्र गजेसिंह जाति राजपूत निवासीयान सोखडों की बेरी साजियाली प
तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
30 राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान का0भू रा0 अधि0

बाबत पत्थरगढ़ी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री रूगाराम कडवासरा

आदेश

दिनांक – 28.12.2017

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढ़ी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पुराना खसरा न0 228/77 रकबा 48 बीघा 02 बिस्वा व प्रार्थीगण संख्या 2 के 2/1 से 2/4 की खातेदारी भूमि खसरा न0 229/77 रकबा 48 बीघा 02 बिस्वा सरहद मौजे सोखडों की बेरी पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह [illegible] साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की सरहद में स्थित है। [illegible] कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है एवं मौके पर भी [illegible] एकमात्र खातेदारी व कब्जासुदा हक है उक्त भूमि का मूल खसरा 77 है जो [illegible] उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के आपस मे ही 2 हिस्सो का बंटवाडा हुआ जिससे मूल खसरा [illegible] जो तरमीमसुदा है उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का ही कब्जा कास्त रहा है इनके [illegible] किसी भी काश्तकार का कब्जा कास्त नहीं रहा है। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 28 [illegible] खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण सं. 1 ता 28 बरसात के समय मे [illegible] कब्जा काश्त मे अक्सर सेढा को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एव विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है प्रार्थीगण ने पैमाईश एव नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त [illegible] विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 3.07.2017 को तलब किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 30 को नोटिस बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित अत: उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एव विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक तिलवाडा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश, पत्थरगढी पुराना खसरा न0 228/77 रकबा 48 बीघा 02 विस्वा व प्रार्थीगण सख्या 2 के 2/1 से 2/4 की खातेदारी भूमि खसरा न0 229/77 रकबा 48 बीघा 02 विस्वा सरहद मौज सोखडों की बेरी पटवार साजियाली पदमसिंह बालोतरा को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

गये। तहरीर जारी हो भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे। भूमापक को तहरीर जारी हो।

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 28.12.2017 सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner